संख्याः 1534 /XV–1/2025–89943

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
पशुपालन विभाग
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–01 देहरादून : दिनांक 14 अगस्त 2025।

विषय : गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1428/दिनांक–11 जुलाई 2025 एवं संयुक्त निदेशक, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1629–30/दिनांक–23 जुलाई 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु दिशा–निर्देश स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–909/XV-1/25/63495 दिनांक–02 जून 2025 द्वारा निराश्रित गोवंश हेतु गोसदनों के निर्माण एवं उनके भरण–पोषण हेतु नीति प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित नीति के क्रम में पशुपालन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोसदनों को मान्यता दिये जाने/सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें :–

गोसदनों को मान्यता दिये जाने हेतु

'उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' 'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली, 2011', 'उत्तराखण्ड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली 2018' एवं तदसम्बन्धित शासनादेशों के प्राविधानों के आलोक में नवीन आवेदक संस्था हेतु, निर्धारित मानकों को सम्मिलित करते हुए पंजीकरण किया जाए। इसके लिए –

1. आवेदक संस्था द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. गो सदनों की स्थापना हेतु गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं का पंजीकरण निम्नानुसार होना आवश्यक है :–
   (क) सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो अथवा

(ख) अलाभकर गोवंश के कल्याण हेतु बिना लाभ अर्जन करते हुए कोई अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत धमार्थ संस्था हो अथवा
(ग) पशुपालन मत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड एवं राष्ट्रीयकृत कानून के तहत पंजीकृत संस्था हो अथवा
(घ) कानून के तहत रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो।

3. आवेदक संस्था द्वारा आवेदन किये जाने उपरान्त जिला स्तरीय समिति द्वारा नामित क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी से निर्धारित जांच आख्या प्रपत्र पर जांच कर जांच रिपोर्ट (स्थलीय भूअभिलेख व पशुओं की संख्या टैंग नम्बर सहित) जिला स्तरीय समिति को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
4. मैदानी क्षेत्रों में संचालित गोसदनों में न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश को शरण दिया जाना आवश्यक है। संस्था की गोसदन में शरणागत अलाभकर गोवंश की स्थलीय फोटोग्राफ्स (पशुओं के साथ–गोसदन के अन्दर व बाहर) भेजना अनिवार्य होगा।
5. संस्था की नियमावली में अलाभकर गोवंश को संरक्षण एवं शरण दिये जाने के क्रम में संकल्प या प्राविधान का होना अनिवार्य होगा।
6. संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों के नाम, पदनाम, पता, दूरभाष संख्या एवं आधार संख्या अनिवार्य होगी।
7. ऐसी आवेदक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनके पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो, उपलब्ध भूमि विवादग्रस्त न हो।
8. राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित संस्था के नाम भूमि स्वामित्व के अभिलेख अथवा भूमिस्वामित्वधारी द्वारा संस्था के नाम न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि का लीज अभिलेख अथवा दान/क्रय से अर्जित भूमि की दशा में दाननामा/भूविक्रेता के अभिलेख तथा भूमिस्वामित्वधारी के नाम भूमिस्वामित्व के अभिलेख (खाता खतौनी) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संस्था द्वारा न्यूनतम 10 वर्ष के लीज अभिलेख उपलब्ध कराये जाने पर केवल भरण–पोषण हेतु आंशिक मान्यता दी जायेगी। संस्था द्वारा 50 वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लीज अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की दशा में पूर्ण मान्यता (भरण पोषण, विस्तार एवं सुदृढीकरण) दी जायेगी।
10. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन+कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तद्क्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
11. स्थानीय ग्राम सभा/नगर पालिका/अन्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सत्यापित मूल प्रति उपलब्ध (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक अंकित) कराना अनिवार्य होगा।

12. आवेदक संस्था को निराश्रित गोवंशीय पशुओं के प्रबन्धन, रख–रखाव एवं भरण–पोषण का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
13. गत वित्तीय वर्ष में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आय–व्यय लेखा रिपोर्ट (लेखा रिपोर्ट में गोवंशीय पशुओं के प्रबन्धन एवं भरण–पोषण का विवरण) होना अनिवार्य होगा।
14. नोटरी द्वारा सत्यापित रू0 100/- के अनुबन्ध पत्र पर संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से हस्ताक्षरित एवं पारित प्रस्ताव अभिलेख कि, संस्था मैदानी क्षेत्रों में संचालित गोसदनों में न्यूनतम 50 अलाभकर गोवंश एवं पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम 25 अलाभकर गोवंश अलाभकर गोवंश को शरण दिये जाने हेतु संकल्पबद्ध है तथा स्वयं के संसाधनों से भरण–पोषण हेतु सक्षम है। राज्य सरकार द्वारा गोवंश के भरण–पोषण में निर्गत आंशिक अनुदान का शतप्रतिशत सदुपयोग किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है ।
15. उक्त समस्त मानको को पूर्ण किये जाने के उपरान्त नवीन आवेदक संस्था की मूल पत्रावली को जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त, पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
16. उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा आवेदक संस्था को मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
17. आवेदक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त किये जाने के उपरान्त अनुबन्ध की शर्तो में अनियमितता पाये जाने पर जनपद स्तरीय समिति द्वारा जांच करायी जायेगी, जाचं उपरान्त मान्यता निरस्त किये जाने हेतु जनपद स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
18. शासन/प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी प्रतिनिधि संस्था के निरीक्षण हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जायेगा।

सरकारी भूमि पर नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु (Category 1 & Category 2) मान्यता प्रदत्त गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से अनुबन्ध किये जाने हेतु

1. नवनिर्मित गोसदन के संचालन हेतु अनुबन्ध की जाने वाली गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था का उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड अथवा भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अधीन पंजीकरण होना अनिवार्य होगा।
2. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, अलाभकर गोवंश (वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश) को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित नियमावलियों/संशोधन आदेशों तथा तद्क्रम में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत/जारी होने वाले शासनादेशों में वर्णित कानूनी प्राविधानों के अनुपालन हेतु बाध्य होगी।
3. राजकीय सहायता/भरण पोषण हेतु अनुदान केवल वृद्ध बीमार, विकलांग, अनुत्पादक

निराश्रित एवं पुलिस–प्रशासन द्वारा गोतस्करों से जब्त किये गये न्यायिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश हेतु देय होगा। उत्पादक गोवंशीय पशुओं हेतु राजकीय अनुदान देय नहीं होगा।

4. गैरसरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व से संचालित कांजी हाउस/गोशाला शरणालय संचालन हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से आवेदन।
5. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण/समीक्षा एवं अनुशंसा की जाएगी।
6. अर्हताऐं पूर्ण करने के उपरान्त गोसदन संचालन हेतु गैरसरकारी संस्था का चयन किया जाएगा।
7. गैरसरकारी संस्था के साथ गोसदन संचालन हेतु समिति द्वारा स्वतः स्पष्ट अनुबन्ध किया जाएगा।
8. गैर सरकारी पशुकल्याण संस्था, भूमि की उपलब्धता अनुसार (प्रतिपशु कवर्ड एरिया 40 वर्गफुट/प्रतिपशु ओपन+ कवर्ड एरिया 150 वर्गफुट) निर्धारित गोवंश की संख्या के बराबर अलाभकर गोवंश को शरण देने हेतु प्रतिबद्ध होगी। तद्क्रम में संस्था, पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय अथवा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा गोसदन में भेजे गये गोवंश को शरण दिये जाने हेतु बाध्य होगी।
9. आवेदक संस्था, समस्त शरणागत गोवंश की भली प्रकार देख–रेख, भरण पोषण हेतु, राजकीय आंशिक सहायता/भरण–पोषण अनुदान के अतिरिक्त समस्त अवशेष व्ययों को निर्वहन कर पाने में सक्षम, कृतसंकल्प एवं वचनबद्ध होगी।
10. सम्बन्धित जनपद की जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही संस्था से रू0 100/- के अनुबन्ध पत्र में समस्त शर्तों को उल्लिखित करते हुए अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमें भरण–पोषण मद में दी गयी राजकीय अनुदान धनराशि को शरणागत गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा।
11. जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुबन्ध की जा रही गैरसरकारी पशुकल्याण संस्था से न्यूनतम 10 वर्षों के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। अनुबन्ध अवधि में संस्था का कार्य उत्कृष्ट पाये जाने पर अनुबन्ध अवधि में वृद्धि (अनुबन्ध नवीनीकरण) जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जा सकेगी।
12. गोसदन संचालन में असमर्थता की दशा में अनुबन्धित संस्था द्वारा जिला स्तरीय समिति को तीन माह पूर्व सूचित करना अनिवार्य होगा ।
13. गोवंश प्रबन्धन/लेखा परीक्षण/भू उपयोग में अनियमितता पाये जाने पर उत्तराखण्ड शासन/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड/जिला प्रशासन/ स्थानीय निकाय अनुबन्धित संस्था को 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित कर सकेगा, स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट न होने की दशा में या किसी भी विवाद की दशा में जिला स्तरीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. अनुबन्ध निरस्त होने की दशा में पुनः गोसदन संचालन का दायित्व किसी भी अन्य अर्ह

संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

15. शासन/जिला स्तरीय समिति/उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी द्वारा संस्था का औचक निरीक्षण किये जाने हेतु सक्षम होगा। इस क्रम में संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाना अपेक्षित रहेगा।
16. गोसदन में क्षमता से अधिक गोवंशीय पशु होने की दशा में क्षेत्रीय पशुचिकित्साधिकारी की आख्या के आधार पर, जिला स्तरीय समिति द्वारा शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास विभाग द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा गोवंश को अन्यत्र मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों की क्षमता के आधार पर सुसंगत अभिलेखीय विवरण के साथ विस्थापित किया जायेगा तथा गोसदन को मानक संख्या के अनुरुप राजकीय अनुदान देय होगा।
17. निराश्रित पशुओं को गोसदनों तक पहुचाये जाने हेतु Cattle Lifting Van/Hydraulic Van उपलब्ध कराये जाने का दायित्व, नगरीय परिधि में शहरी विकास विभाग एवं ग्रामीण परिधि में पंचायतीराज विभाग का होगा।
18. गैरसरकारी संस्था द्वारा संचालित गोसदनों में संदिग्ध संख्या में गोवंशीय पशुओं की क्षति होने पर विकासखण्ड स्तरीय समिति तथा यथावश्यकता पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित गोसदन की जांच की जायेगी। समिति द्वारा अपनी जांच आख्या जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित की जायेगी।
19. जनपद स्तरीय समिति की अनुशंसा पर जिला प्रशासन/पुलिस द्वारा यथोचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

3– कृपया उक्त नीति का प्रभावी कियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Santosh Badoni
Date: 14-08-2025
12:49:26

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अपर सचिव।

संख्या– 1534/XV-I/2025/89943 तद्दिनॉकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.सचिव, शहरी विकास विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2.वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री,उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3.वरिष्ठ निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. मण्डलायुक्त कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज, उत्तराखण्ड।

7.अनुभाग अधिकारी, शहरी विकास अनुभाग–02/पंचायतीराज अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त पशुचिकित्साधिकारी उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Karam Ram
Date: 14-08-2025 17:39:57

(करम राम)
अनुसचिव।